"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 नवम्बर 2010—अग्रहायण 6, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-27/दो-गृह/रापुसे/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र कार्यपालिक बल आरक्षक (श्वान दल) तथा आरक्षक (सहायक) तृतीय श्रेणी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 7 के उपनियम (6) के खण्ड (चार) के शीर्षक में, शब्द "तथा लिखित परीक्षा" विलोपित किया जाए.

2. नियम 7 के उपनियम (6) के खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) **15 कि.मी. दौड़/चाल**— ट्रेड टेस्ट के पश्चात्, गुणागुण सूची विज्ञापित पदों के लिए कुल 5 गुने की सीमा तक, जाति/वर्ग के अनुसार तैयार की जाएगी, इसमें अभ्यर्थियों को 15 कि.मी. दौड़/चाल के परीक्षण में भाग लेना होगा. एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षण की पात्रता होगी, भले ही यह विज्ञापित पदों के पांच गुने की सीमा से अधिक हो. अभ्यर्थियों को 15 कि.मी. दौड़/चाल को दो घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक होगा, केवल तभी वे अर्ह माने जाएंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 2-27/दो-गृह/रापुसे/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th November 2010

NOTIFICATION

No. F 2-27/2-Home/SPS/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Police/Armed Executive Force Constable (Dog Handler) and Constable (Assistant) Class-III (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rule,—

1. In heading of clause (iv) of sub-rule (6) of Rule 7, the words "and Written Examination" shall be omitted.

2. For clause (v) of sub-rule (6) of Rule 7, the following clauses shall be substituted, namely :—
"(v). **15 k.m. Run/Walk** — After trade test, a merit list shall be prepared as caste/class wise to a limit of total five times to the post advertised in which candidates shall have to undergo a test of 15k.m. run/ walk. All candidates having same minimum marks shall be entitled for the test although it may cross limit of five times of the post advertised. In two hours times candidates have to complete 15k.m. run/ walk, only then they shall be considered qualified."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. K. SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.